



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2011/वैशाख 5, 1933

No. 667]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2011/VAISAKHA 5, 1933

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2011.

का.आ. 783(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) के खंड 3 के उप-खंड (1) और खंड 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में 15 अक्टूबर, 2008 के का.आ. 2482(अ) के तहत प्रकाशित अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अनुसूची में अधिसूचना में, अनुसूची में पैरा 3.0 के मद 1 में,—

बिन्दु 3 के (1) में "12 दिनों की अवधि के लिए" के स्थान पर "12 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए" प्रतिस्थापित होगा; बिन्दु 4 के पैरा (2) में "10 दिनों से पहले नहीं" के स्थान पर "20 दिनों से पहले नहीं" प्रतिस्थापित होगा।

[फा. सं. 35029/8/2009-मा. (ट्रेड)]

तरुण श्रीधर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 को का.आ. 2482(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और तदुपरांत 31 अगस्त, 2009 को का.आ. 2213(अ) के तहत संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2011

S. O. 783 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 and Section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) published *vide* number S.O. 2482 (E), dated the 15th October, 2008, in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 20th October, 2008, namely :—

In the said notification, in the Schedule, in paragraph 3.0, in item one,—

(i) in the third point, for the words "for a period of 12 days", the words "for a minimum period of 12 days" shall be substituted; para (ii) in the fourth point, for the words "not earlier than 10 days", the words "not earlier than 20 days" shall be substituted.

[F. No. 35029/8/2009-Fy. (Trade)]

TARUN SHRIDHAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published *vide* No. S. O. 2482(E), dated the 15th October, 2008 in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th October, 2008 and subsequently amended *vide* number S.O. 2213(E), dated the 31st August, 2009.